



राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर

70/87-88 पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर

email id- dlo.Jaiu@rajasthan.gov.in


क्रमांक: /सा.न्या.अ.वि./2022-23/224

दिनांक: 18.04.2023

प्रेस - विज्ञप्ति

अंत्येष्टि अनुदान योजनान्तर्गत लावारिस अथवा निराश्रित मृतक का सम्मान एवं विधि-विधान पूर्वक अंतिम संस्कार दाह संस्कार करने की ईच्छुक स्वयं सेवी पंजीकृत संस्थाए जो कि निराश्रित एवं बेसहारा व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हो ऐसी संस्थाओं के चयन हेतु संस्थाओं के प्रस्ताव दिनांक 02.05.2023 आमंत्रित किये जाते हैं ।

आवेदन-पत्र एवं प्रस्ताव कार्यालय समय मे संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर शहर जमा करवाये जा सकते हैं, एवं आवेदन पत्र व अन्य शर्तें विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं।



संयुक्त निदेशक
सामा. न्याय एवं अधि. विभाग
जयपुर



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
अंत्येष्टि योजना आवेदन-प्रपत्र

1. स्वयंसेवी संस्था का नाम:-
2. स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता (ई-मेल सहित):-
3. स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष नं.:-
4. संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/ट्रस्ट व कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है, अथवा नहीं
5. यदि हाँ तो पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. संस्था निराश्रित व बेसहारा व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हाँ अथवा पूर्व में कार्य करने का अनुभव की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. संस्था को पूर्व में किसी भी प्रकार से दण्डित ब्लैक लिस्टेड नहीं किये जाने का स्वघोषणा पत्र।
8. संस्था अपने स्तर पर लावारिस अथवा निराश्रित मृतक का पूर्ण विधिविधान से तत्काल अपने स्तर पर अंतिम संस्कार करने एवं इस योजनान्तर्गत निर्धारित राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार से प्राप्त करने पर सहमत हो।
9. गत तीन वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न करें, (आय-व्यय प्राप्ति भुगतान एवं बैलेस शीट)।
10. गत तीन वर्षों की CA से प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।
11. संस्था की अन्य गतिविधियां (विवरण सहित) संलग्न करें।
12. संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है। हाँ/नहीं
13. यदि हाँ तो स्वीकृत अनुदान की गत तीन वर्षवार विवरण दें।
14. संस्था विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। हाँ/नहीं
15. यदि हाँ तो तीन वर्ष का विवरण संलग्न करें।
16. संस्था के पास गृह संचालन हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है हाँ, तों नहीं तो किरायानामा की फोटों प्रति मय नक्शा संलग्न करें।
17. अन्य विवरण जो आवश्यक हो, विवरण संलग्न करें।